physical verification at the pit-head so that the Railways are not to carry stones in the name of coal. That is the point on which I wanted to draw your attention as content has nothing to do with it.

सुश्री उमा भारती : सर, मुझे वही रिपीट करना होगा कि स्टील और सीमेंट प्लांट के साथ में, पावर प्लांट वालों के साथ में भी हम बातचीत करके किसी निष्कर्ष पर बहुत जल्दी पहुंचना चाहते हैं, बहुत जल्दी पहुंचेंगे कि वाशरीज के बारे में क्या निर्णय लिया जाए।

जहां तक हमारे मंत्रालय का सवाल है तो हम इस आइडिया के अपोज में नहीं हैं कि जहां पर भी कोल का उत्खनन होता है, वहीं पर वाशरीज लगाई जाएं। लेकिन इसके अंतिम निर्णय पर पहुंचने के लिए हम पर्याप्त नहीं हैं। इसमें हमको स्टील, सीमेंट, पर्यावरण, वन, पावर सब के साथ में बैठकर के निर्णय करना होगा। जब हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे तो हम सदन की जानकारी में उस निष्कर्ष को लायेंगे।

New Power Tariff Policy

*125. DR. T. SUBBARAMI REDDY :†
SHRIMATI AMBIKA SONI :

Will the Minister of POWER be pleased to state :

(a) whether Government are considering a new power tariff policy;

(b) if so, whether Government have received comments from an independent credit rating agency and views of all stakeholders; and

(c) if so, by when will the new policy be announced and the new tariff likely to come inforce?

THE MINISTER OF POWER (SHRI ANANT GANGARAM GEETE) : (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) Yes, Sir.

(b) and (c) Section 13(e) of the Electricity Regulatory Commission Act, 1998 envisages the formulation of a tariff policy by the Central Government on the aid and advice of the Central Electricity Regulatory Commission (CERC).

A Group was constituted under the Chairmanship of Special Secretary (Power) to prepare a concept paper on tariff policy. The Group submitted its report in May, 2002.

Since tariff policy is of vital importance for the smooth development of the power sector, it has been considered necessary to have consultations

†The question was actually asked on the floor of the House by Dr. T. Subbramani Reddy.

with stakeholders and experts on the report of the working group and to finalise the draft tariff policy thereafter. In order to finalise the tariff policy after taking into account the comments and views of the various stakeholders and experts, a High Level Committee which includes Chairman, CEA and Managing Director of Credit Rating Information Services of India Ltd. (CRISIL) under the Chairmanship of Secretary (Power) was constituted on 7th June, 2002.

DR. T. SUBBARAMI REDDY : Mr. Chairman, Sir, according to Section 13(e) of the Electricity Regulatory Commission Act, 1998 the Central Government has to take the advice of the Central Electricity Regulatory Commission in order to finalise power tariff policy, but till now they have not done it. I would like to know, what is the bench-mark of this policy? Secondly, there has been substantial delay, even though it was promised to finalise it by September, 2002 but till today nothing has happened. Thirdly, I would like to know whether there is any proposal by the Commission to take advice and suggestions from the independent credit rating authority, stakeholders and also the various authorities in the public so that you can have perfection. But as per your Statement, I do not find any such thing, taking any advice from independent agency. You are only dealing with the Government authorities.

श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति महोदय, मूल प्रश्न के उत्तर में इन सारे पूरक प्रश्नों का उत्तर हमने यहां पर दिया है। एक विशेष सचिव की अध्यक्षता में अध्ययन दल का गठन किया गया था जिसकी रिपोर्ट हमें मई, 2002 में मिली। अब हमने ऊर्जा सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है और वह कमेटी, जो इससे संबंधित स्टेक होल्डर्स हैं, उनसे सलाह-मशवरा करके अपनी टैरिफ पॉलिसी तय करने जा रही है। इसके अलावा राज्यों के जो विनियामक बोर्ड हैं, उनसे भी सलाह-मशवरा किया जा रहा है, जो रेटिंग एजेंसिज़ हैं, उनसे भी सलाह-मशवरा किया जा रहा है। उनसे सलाह-मशवरा करने के बाद यह पॉलिसी निश्चित की जा सकती है।

DR. T. SUBBARAMI REDDY : Sir, I would like to have a clear-cut assurance from the hon. Minister. It is a very important power tariff policy for the country. How much time will you take to finalise this policy? In the answer the Minister has stated that a High Level Committee has been constituted under the Chairmanship of the Secretary, Ministry of Power. There must be some specific plan. When would the Government be able to finalise the power tariff policy? I want to have a specific reply.

श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति महोदय, कम समय में जो हमारी पॉलिसी है, वह तय होनी चाहिए, सदस्य महोदय के इस मत से मैं सहमत हूं और इसके लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। जैसे ही इस पर संबंधित लोगों से विचार-विमर्श हो जाएगा, नीति तय हो जाएगी किन्तु नीति का समय निर्धारित करना आज इस समय मेरे लिए संभव नहीं है।

SHRIMATI AMBIKA SONI : In his reply the hon. Minister has stated that a High Level Committee has been constituted and that they would have consultations with the stakeholders and other important organisations. How would the voice of the ordinary consumers, whether they are residential consumers or small agriculture consumers, get reflected in this consultation process? While formulating a new tariff policy would the Government consider laying a fixed power tariff policy? If possible, would the Government allow the producers to sell it at lower rates?

श्री अनंत गंगाराम गीते : सभापति महोदय, यह जो टैरिफ है, वह राज्य के जो विनियामक बोर्ड्स हैं, निश्चित करते हैं। हमारी ऊर्जा चूंकि अलग-अलग स्तर पर निर्मित होती है इसलिए टैरिफ में भी हर राज्य में अंतर है। प्रयास यह हो रहा है कि देश भर में जो उपभोक्ता हैं, उन्हें सस्ती दर पर बिजली मिले। जो टैरिफ तय किया जाता है, उसके लिए देश भर में कोई एक नीति हो और उस नीति को बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री राजनाथ : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सैंट्रल गवर्नमेंट को ... **(व्यवधान)** ...

एक माननीय सदस्य : आप मंत्री जी को बचा रहे हैं।

श्री सभापति : मैं उन्हें बचा नहीं रहा हूं। मंत्री जी जो बता रहे हैं, वह सारी सही स्थिति है। इस पर अध्ययन करने की आवश्यकता है कि क्या इस प्रकार की स्थिति बन सकती है या नहीं। जब सब स्टेट्स अलग-अलग रूप से स्वतंत्र हैं, उनके अलग-अलग रेग्युलेटरी बोर्ड्स हैं तो भारत सरकार किस सीमा तक नीति बना सकती है। इसी बात के लिए इन्होंने कहा है कि जो कमेटी बनी हुई है, वह इस पर विचार करेगी।

श्री राजनाथ सिंह : महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चूंकि सैंट्रल गवर्नमेंट को टैरिफ पॉलिसी के बारे में फाइनल डिसीज़न करना है। इसके अलावा वर्किंग ग्रुप की कॉन्सैप्ट रिपोर्ट मई, 2002 तक सरकार को प्राप्त हो चुकी है तो क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस कॉन्सैप्ट रिपोर्ट के क्या सैलिएंट फीचर्स हैं ताकि सम्मानित सदस्यों को उसकी जानकारी हो सके और वह अपने आवश्यक सुझाव इस संबंध में दे सकें। इसके अलावा मैं यह भी जानना चाहता हूं कि इस रिपोर्ट को प्राप्त हुए लगभग सात महीने गुजर चुके हैं। यह सच है कि स्टेक होल्डर्स से भी इनको परामर्श करना

है, विनियामक बोर्ड से भी परामर्श करना है, कब तक सैंट्रल गवर्नमेंट इस पर विचार करके टैरिफ पॉलिसी को फाइनल शेप दे देगी ?

श्री अनंत गंगाराम गीते : महोदय, अध्ययन दल की जो रिपोर्ट है, उसकी कॉपी सदस्य महोदय के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। सभापति जी, आपने सही फरमाया है कि इसके अंदर विचार-विमर्श की आवश्यकता है, राज्य सरकार या स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ विचार-विमर्श की आवश्यकता है। यह निरंतर चल रही है इसलिए इसके लिए समय निर्धारित करना मेरे लिए संभव नहीं है।

SHRI RAVULA CHANDRA SEKAR REDDY : Sir, since a uniform National Power Tariff Policy is essential, I want to know from the hon. Minister, how many States, as per Section 13(e), have constituted Electricity Regulatory Commissions. Secondly, Sir, what is the time limit kept for submitting the report by the high-level Committee?

श्री अनंत गंगाराम गीते : जो राज्य विनियामक बोर्ड हैं, वे आज भी देश के सभी राज्यों में गठित नहीं किए गए हैं, माननीय सदस्य की इस बात से मैं बिलकुल सहमत हूं लेकिन राज्य सरकारों को निरंतर इस संदर्भ में अवगत कराया जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि सभी राज्य विनियामक बोर्डों को गठित कर देंगे। ... (**व्यवधान**) ...

डा. अलादी पी. राजकुमार : आपकी उम्मीद उम्मीद ही रह जाती है। कोई टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाना है क्या आपने ? यह क्लीयर कट क्वेश्चन है कि कुछ टाइम बाउंड प्रोग्राम आपको बनाना पड़ेगा। स्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटीज़ जिन स्टेट्स में हुआ है, वहां रिफॉर्म्स बना रही है, तो इसके बदले में सेंट्रल गवर्नमेंट should have some Act even if some State Governments are delaying.

MR. CHAIRMAN : Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Court of Inquiry into Jaguar Crash at Ambala

*126. SHRI SURESH KALMADI : Will the Minister of DEFENCE be pleased to state :

(a) whether Government have ordered a Court of Inquiry into the Jaguar crash at Ambala Cantonment on 5th November, 2002;

(b) if so, the details thereof and its findings;

(c) the steps being taken to provide compensation to the victims of the crash;